कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सीकर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कमांक :–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19626/11–12 दिनांक–18.03.2011 एवं 25.04.2011के निर्देशानुसार निम्नांकित गैर सरकारी संस्थाओं को उनके द्वारा आवेदन पत्र,शपथ पत्र व अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने तथा निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर निम्न शर्तो के अधीन शैक्षिक सत्र 2011–12 से उनके द्वारा संचालित किये जाने वाले विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता का आशय पत्र जारी किया जाकर कक्षा–6 तक प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विद्यालय संचालन की सूचना एवं संलग्न प्रपत्र आवश्यक रूप से भर कर सम्बन्धित ब्लॉक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवायेंगे।

1. संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 में वर्णित सभी प्रावधानों व मानदण्डों की पालना करनी होगी, शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठकम के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाना होगा।
2. प्रधानाध्यापक,अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षक सभी निर्धारित योग्यताधारी हों। प्रतिमाह नामांकन, सस्थापन व अन्य सूचनायें उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी।
3. संस्था को किसी प्रकार का अनुदान देय नही होगा।
4. संस्था को विद्यालय प्रारम्भ करने की सूचना इस कार्यालय,ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ,प्रधानाचार्य डाइट व संयोजक,समान परीक्षा ,सीकर को अत्यावश्यक रूप से भिजवानी होगी। प्रतिवर्ष कीडा एवं परीक्षा शुल्क नियमानुसार समय पर जमा करवाना होगा।
5. संस्था को सक्षम स्तर द्वारा जारी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रति तीन वर्ष में आवश्यक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
6. विद्यालय में आवश्यक रूप से अग्निशमन यंत्र स्थापित करना होगा।
7. संस्था द्वारा विद्यालय संचालन नहीं करने पर मान्यता का आशय पत्र निरस्त समझा जावेगा।
8. विद्यालय के नाम, स्थान व भवन परिवर्तन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
9. राज्य सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों व नियमों की पालना नहीं करने व विद्यालय निरीक्षण के समय अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से मान्यता का आशय पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
10. संस्था को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 की समस्त धाराओं एवं शर्तों की पूर्णतः पालना करनी होगी ।

क्र.सं.	संस्था का नाम	माध्यम	ब्लॉक का नाम
1	एड्युब्रेन ग्लोबल एकेडमी, गायत्री मार्केट बजरंग कांटा के पास देवीपुरा रोड,सीकर	अंग्रेजी	सीकर
2.	ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड स्कूल, हाऊसिंगबोर्ड सीकर		
3.	किड्स किंगडम कॉन्वेन्ट स्कूल पालोग्राउण्ड, सीकर	अंग्रेजी	सीकर
4.	तनिष्क इन्टरनेशनल एकेडमी बालाजी नगर के सामने जयपुर रोड सीकर	अंग्रेजी	सीकर
5.	भारत भारती किड्स किंगडम स्कूल हरिराम बहड मार्ग सीकर	अंग्रेजी	सीकर
6.	विनायक एकेडमी शास्त्री नगर राणी सती रोड सीकर	हिन्दी	सीकर
7.	नोबल इन्टरनेशनल स्कूल, बालूराम सैनी की गली जयपुर रोड सीकर	अंग्रेजी	सीकर
		अंग्रेजी	सीकर

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा सीकर

क्रमाक–जिशिअ/प्राशि/सी/विधि/मान्यता/2011/2294
दिनांक–21-06-2011

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

11. श्रीमान् निदेशक, प्रा0शि0, राजस्थान, बीकानेर ।
12. श्रीमान् उप निदेशक, प्रा0शि0, जयपुर संभाग जयपुर ।
13. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, (प्रथम/द्वितीय) सीकर
14. प्रधानाचार्य,डाईट सीकर ।
15. अतिरिक्त परियोजना समन्वयक एस.एस.ए. सीकर।
16. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समय–समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर विभागीय निर्देशों व शर्तो की पालना सुनिश्चित करवायेंगे तथा सूचना प्रपत्र भरवाकर एक प्रति कार्यालय में जमा करें।
17. संबंधित संस्थाप्रधान/सचिव/अध्यक्ष भारत भारती किड्स किंगडम स्कूल हरिराम बहड मार्ग सीकर
18. संयोजक व प्रधानाध्यापक, जिला समान परीक्षा/क्रीडा प्रतियोगिता, सीकर ।
19. साख्यिकी/संस्थापन/सामान्य/शैक्षिक प्रकोष्ठ/लेखा शाखा कार्यालय हाजा ।
20. रक्षित पत्रावली ।

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा सीकर

विद्यालय - BHARAT BHARATI KIDS KINGDOM SCHOOL (P34923) आवेदन क्रमांक : 22869

मान्यता कोड : RJSKR24060 प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी SIKAR , राजस्थान

क्रमांक: 494 दिनांक 25/7/2018

सचिव

प्रबंध समिति

BHARAT BHARATI KIDS KINGDOM SCHOOL

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 22869 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, BHARAT BHARATI KIDS KINGDOM SCHOOL पता HARI RAM BAHAR MARG,
POLO GROUND,
WARD NO.24
SIKAR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NP_SIKAR ब्लॉक PIPRALI को शैक्षिक सत्र 2018-19 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

अतिरिक्त माध्यम के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	Hindi
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम	English
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम किस कक्षा से किस कक्षा तक	1-8

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	BHARAT BHARATI KIDS KINGDOM SCHOOL
स्वीकृत नवीन नाम	VIDYASHRAM GLOBAL ACADEMY

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी SIKAR , राजस्थान

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;

(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए;

(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और

(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा ।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

10.विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11 विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी|

14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।

18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, सीकर

विद्यालय - VIDYASHRAM GLOBAL ACADEMY (P34923)

आवेदन क्रमांक : 30510

मान्यता कोड : RJSKR29523

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी SIKAR , राजस्थान

क्रमांक: 544

दिनांक 2|10|2019

सचिव

प्रबंध समिति

VIDYASHRAM GLOBAL ACADEMY

विषय :- राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 8-क के उप- नियम(4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र|

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 30510 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, VIDYASHRAM GLOBAL ACADEMY पता VINAYAK VIHAR COLONY
DHOD ROAD
SIKAR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NP_SIKAR ब्लॉक PIPRALI को शैक्षिक सत्र 2019-20 से निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

स्थान (पता) परिवर्तन			
वर्तमान में स्कूल का स्थान (पता)			
जिला	SIKAR	ब्लॉक	PIPRALI
ग्राम पंचायत /यु एल बी	NP_SIKAR	ग्राम /वार्ड	NP SIKAR_WARD NO.19
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)	HARI RAM BAHAR MARG POLO GROUND WARD NO SIKAR		
स्वीकृत स्थान (पता)			
जिला	SIKAR	ब्लॉक	PIPRALI
ग्राम पंचायत /यु एल बी	NP_SIKAR	ग्राम /वार्ड	NP SIKAR_WARD NO.19
विद्यालय का नवीन स्थान (पूरा पता)	VINAYAK VIHAR COLONY DHOD ROAD SIKAR		

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम सं.35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस - पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी SIKAR , राजस्थान

6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा ।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(I) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;

(IV) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा- अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा;

(V) 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए;

(VI) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए;

(VII) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और

(VIII) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा ।

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

10.विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।

11 विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।

12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।

13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जाएगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी|

14. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस पी कोड का उपयोग किया जाए।

15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों को हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।

17. विद्यालय शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।

18. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।

विद्यालय - VIDYASHRAM GLOBAL ACADEMY (P34923)

आवेदन क्रमांक : 30510

मान्यता कोड : RJSKR29523

प्रारूप-2

कार्यालय: जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी SIKAR , राजस्थान

19. विद्यालय को यह मान्यता स्कुल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 9 (1) शिक्षा -5 /भू -रूपांतरण /2016 जयपुर दिनांक 14-06-2019 के अनुसरण में शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए अस्थाई रूप से निम्नांकित शर्तो के अधीन दी जाती है।

(i) यह मान्यता शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए ही प्रभावी होगी।
(ii) इस अवधि में नियमानुसार भूमि रूपांतरण करवा कर भूमि रूपांतरण के दस्तावेज सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे प्रस्तुत करने होंगे।
(iii) निर्धारित अवधि में नियमानुसार भूमि रूपांतरण नहीं होने पर मान्यता प्रभावी नहीं रहेगी तथा इन कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थीयों को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
(iv) विद्यालय द्वारा इस आशय का परिवाचन (Undertaking) क्षतिपूर्ति बंध पत्र शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2.10.19

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रा. शिक्षा, सीकर

RAJ-PSP